मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लि0

–:: विज्ञापन ::–

मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लि0 भोपाल, के अंतर्गत कार्यालयीन/क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न पदों के लिये जॉब दर पर नियोजन हेतु वन विकास निगम/वन विभाग के सेवा निवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन दिनांक **08.03.2019** तक कार्यालय समय में आमंत्रित किये जाते हैं ।

आवेदक को निगम मुख्यालय/किसी एक क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय अथवा अधीनस्थ संभागीय कार्यालयों के लिये निर्धारित पदों के लिये सशुल्क आवेदन करना होगा। विस्तृत जानकारी हेतु निगम की वेबसाईट www.mpsfdc.com देखें।

प्रबंध संचालक,

D:\lenovo data d\9.9.15\D DRIVE\Admin-1\S.J\Job Rate\Job Rate RGM.doc

जॉब दर पर रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सेवा शर्ते

म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि0 भोपाल, के अंतर्गत मुख्यालय, क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय एवं अधीनस्थ संभागीय कार्यालयों के रिक्त पदो के विरूद्ध जॉबदर पर नियुक्ति हेतु इच्छुक वन विकास निगम/वन विभाग के सेवा निवृत्त स्वस्थ शासकीय सेवकों से कार्यालयीन समय में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

जॉब दर पर आवश्यक पदों की अनुमानित संख्या का विवरण

क्र	पद का नाम	पदों की संख्या			
		क्षेमुमप्र, भोपाल एवं उसके अधीनस्थ कार्यालय	क्षेमुमप्र, जबलपुर एवं उसके अधीनस्थ कार्यालय	मुख्यालय, भोपाल	कुल पद संख्या
1	उप महाप्रबंधक*	-	-	1	1
2	सहायक परियोजना क्षेत्रपाल	-	3	-	3
3	क्षेत्र रक्षक	5	-	-	5
4	कार्यालय सहायक	1	-	-	1
	योगः–	**6**	**3**	**1**	**10**

*उप महाप्रबंधक पद वित्त एवं बजट के कार्यो हेतु।

जॉबदर पर नियुक्ति के लिए मापदंड निम्नानुसार है :–

1. आवदेक म.प्र. राज्य वन विकास निगम/मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग का सेवानिवृत्त अधिकारी/ कर्मचारी होना चाहिये।

2.(अ) जो आवेदक क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक भोपाल कार्यालय एवं उसके अधीनस्थ संभागीय कार्यालयों (विदिशा–रायसेन, सीहोर एवं खण्डवा परियोजना मण्डल) के कार्यालयीन/क्षेत्रीय पदों के लिये आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय, म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि0, वनिता नर्सरी परिसर, जवाहर बाल भवन के पास, तुलसी नगर भोपाल (म.प्र.) पिन–462003 में आवेदन करना होगा।

(ब) जो आवेदक म.प्र.राज्य वन विकास निगम लि. के मुख्यालय भोपाल के पदों के लिये आवेदन करना चाहते है, उन्हें क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय, भोपाल म.प्र.राज्य वन विकास निगम लि. वनिता नर्सरी परिसर, जवाहर बाल भवन के पास, तुलसी नगर, भोपाल (म.प्र.) पिन–462003 में आवेदन करना होगा।

(स) जो आवेदक क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक जबलपुर कार्यालय एवं उसके अधीनस्थ संभागीय कार्यालयों (कुण्डम, उमरियां, मोहगांव–मण्डला एवं रीवा–सीधी परियोजना मण्डल) के कार्यालयीन/क्षेत्रीय पदो के लिये आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय, म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि0, 451 संजीवनी नगर,गढ़ा, जबलपुर (म.प्र.) में आवेदन करना होगा।

D:\lenovo data d\9.9.15\D DRIVE\Admin-1\S.J\Job Rate\Job Rate RGM.doc

3 संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का विगत 5 वर्षो का गोपनीय प्रतिवेदन समग्र रूप से बहुत अच्छा श्रेणी या उससे उच्च श्रेणी का होना चाहिए।

4. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विगत 5 वर्षो के सेवाकाल दौरान किसी भी समय उनकी निष्ठा पर कोई संदेह/आक्षेप एवं दंडित न किया गया हो।

5. जॉबदर पर रखे जाने वाले सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी म.प्र. राज्य वन विकास निगम के सभी कार्यालयों एवं संभागीय कार्यालयों में कार्य करने के लिए सहमत हो।

6. आवेदक की आयु दिनांक 01 मार्च, 2019 को 64 वर्ष से अधिक न हो।

7. जॉबदर पर नियुक्ति एक बार में एक वर्ष के लिए दी जावेगी। एक वर्ष उपरान्त अधिकारी/कर्मचारी का कार्य संतोषप्रद होने पर एवं अधिकारी/कर्मचारी की सहमति रहने पर जॉब दर नीति अनुसार कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार में एक वर्ष की वृद्धि दी जा सकती है। कार्यकाल में वृद्धि करने का अधिकार प्रबंध संचालक को होगा।

8. जॉबदर पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को कार्य एवं पद के अनुरूप निगम द्वारा निर्धारित जॉबदर के अनुसार राशि देय होगी। वन विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी के लिए जॉबदर शासन के निर्देशानुसार उन्हें सेवानिवृत्त के समय धारित पद पर देय कुल परिलब्धि में से पेंशन की राशि कम करके शुद्ध परिलब्धियों को 26 कार्य दिवस में विभाजित कर प्रति दिवस 6 घंटे 30 मिनिट कार्य अवधि के मान से प्रति घंटा के अनुसार जॉबदर का निर्धारण किया जाएगा।

9. जॉबदर पर सेवा में रखे गये अधिकारी/कर्मचारी अपनी आयु के अधिकतम 65 वर्ष तक कार्य कर सकेंगे। निगम को आवश्यकता न होना या सीधी भर्ती/पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति से पदो की पूर्ति होने पर एक माह का नोटिस देकर कर्मचारी/अधिकारी को कार्य से मुक्त किया जा सकता हैं। अधिकारी/कर्मचारी भी यदि कार्य करने के इच्छुक न हो तो एक माह का नोटिस या एक माह का पारिश्रमिक देकर कार्य छोड़ सकता है।

10. सीधी भर्ती/पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति से पदो की पूर्ति होने की स्थिति में अथवा जॉबदर पर सेवा पर लिये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्य व्यवहार, अनुशासन या स्वास्थ्य आदि संतोषप्रद न होने पर एक माह की पूर्व सूचना या एक माह के पारिश्रमिक का भुगतान कर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

11. यात्रा भत्ता की पात्रता समकक्ष पद के अधिकारियों/कर्मचारियों के समान नियमानुसार प्रभावशील होगी।

12. जॉबदर पर रखे जाने वाले सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी को शासकीय चिकित्सक द्वारा जारी स्वस्थ्यता का प्रमाण पत्र देना होगा।

13. जॉबदर पर रखे जाने के दौरान उन्हें निगम का आवास गृह आबंटन की पात्रता नही होगी और न ही उन्हें गृह भाड़ा भत्ता या अन्य कोई भत्ता देय होगा।

14. सेवानिवृत्त परियोजना क्षेत्रपाल एवं उससे वरिष्ठ कार्यपालिक सेवानिवृत्त अधिकारी को सहायक संवितरण/संवितरण का अधिकार नही होगा और वनों से संबंधित वैधानिक कार्य करने का अधिकार नही होगा। उक्त कार्यो के अतिरिक्त प्रबंधन द्वारा सौंपे गये सभी कार्य उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को संपादित करने होगें।

15. विज्ञापन में उल्लेखित पदों की संख्या अनुमानित है और उसमें परिवर्तन हो सकता है।

16. वन विकास निगम/वन विभाग के सेवा निवृत्त कर्मचारियों के आवेदन पर उन्हें जॉबदर पर रखने/नही रखने का अंतिम निर्णय प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लि0 का होगा।

17. सेवा निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी को केवल निगम मुख्यालय/किसी एक क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय व अधीनस्थ संभागीय कार्यालयों के लिये निर्धारित पदों में से एक पद के लिये सशुल्क आवेदन देना होगा। आवेदन के साथ रू. 1000/- के शुल्क राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य वन विकास निगम लि. भोपाल के नाम देय होगा, संलग्न करना होगा, जो वापसी योग्य नहीं होगा।

प्रबंध संचालक,

D:\lenovo data d\9.9.15\D DRIVE\Admin-1\S.J\Job Rate\Job Rate RGM.doc